भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-346
सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941 (शक)

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर

346. श्रीमती वीणा देवीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा महिलाओं हेतु रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी हेतु क्या नए उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु कोई लक्ष्य तय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): सरकार ने रोजगार सृजन तथा महिलाओं सहित युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने हेतु अनेक पहलें की हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाओं को समन्वित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय नामक एक नया मंत्रालय स्थापित किया गया है। महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने महिला श्रम भागीदारी दर में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसमें प्रसूति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 का अधिनियमन भी शामिल है, जिसमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने तथा 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध शामिल है; पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ-साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देने हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत राज्यों को परामर्शी जारी की है; सायं 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच खान की ऊपरी सतह पर तथा दिन के समय खानों में सतह के नीचे महिलाओं की तैनाती की अनुमति देने हेतु खान अधिनियम, 1952 के तहत अधिसूचना जारी की है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरुष एवं महिला कामगारों हेतु बिना किसी भेदभाव के समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा निर्धारित की गई उपयुक्त मजदूरी पुरुष एवं महिला कामगारों दोनों पर समान रूप से लागू होती है और यह अधिनियम लिंग आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है।

नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने तथा उनकी रोजगार आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता करेगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार को संभालने वाली एकल-अर्जक माताओं सहित महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को चलाता है।

*****